कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश
प्रगति भवन, विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

दूरभाष : 0755–2674206, 2674248, फैक्स : 0755–2766315
e-mail pccfwl@mp.gov.in, pccfwl@mpforest.org

क्रमांक / संरक्षण / 47 / 3724 भोपाल, दिनांक 26-6-2013

प्रति,

समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय
मुख्य वन संरक्षक, सिंह परियोजना ग्वालियर
समस्त वनमंडलाधिकारी सा. वनमंडल
वनमंडलाधिकारी (वन्यप्राणी) नौरादेही, सागर / कूनो पालपुर, श्योपुर
मध्यप्रदेश.

विषय :– **अपराध स्थल पर फारेसिंक साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शी फोरेंसिक मैनुअल**

वन्यप्राणी मृत्यु के प्रकरण में एन.टी.सी.ए. के द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुसार जांच किये जाने के निर्देश आपको पूर्व में दिये जा चुके हैं। इसी कड़ी में अपराध स्थल पर फारेसिंक साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शी फोरेंसिक मैनुअल की प्रति (जिसकी मूल अंग्रेजी प्रति भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के द्वारा तैयार की गई है) ई मेल से आपकी ओर प्रेषित है। इसका उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में करे साथ ही प्रतियां अधीनस्थ अमले को उपलब्ध कराये, ताकि वे सही तरीके से फारेंसिक साक्ष्य एकत्र कर सकें एवं जांच हेतु उपयुक्त तरीके से साक्ष्यों को सुरक्षित कर प्रयोगशालाओं को भेज सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

26/6/13
(सुहास कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
मध्यप्रदेश, भोपाल.

D:/Deepak/Letter

वन्यप्राणी विधि–चिकित्साशास्त्र (फॉरेन्सिक) के लिये जांच अधिकारियों हेतु फील्ड मेनुअल

सी.पी. शर्मा

भारतीय वन्यजीव संस्थान,
पी.ओ. बॉक्स 18 चन्द्रबनी, देहरादून

अवैध व्यापार में वन्यप्राणी अंग तथा उत्पाद एवं नकली अवयव

चमड़ा	:	बाघ, तेन्दुआ, हिम तेन्दुआ, छोटी बिल्लियों के फर, साँप, चीतल, सांभर, बार्किंग डियर, गौर, यॉक, फेक (नकली)
हड्डी	:	बड़ी बिल्लियाँ (शराब, केश तेल, टी.सी.एम.), भालू, जंगली सुअर
एंटलर्स / सींग	:	चीतल, सांभर, बारहसिंगा, हॉग डियर, बार्किंग डियर, हिमालयन थार, गोरल, सेरों, चिंकारा, काला हिरण, भालू, सीविट,
ि त	:	भालू, सिवेट (कवर बिज्जू)
कस्तूरी फली	:	कस्तूरी मृग, फेक (नकली)
हाथीदंत	:	हाथी, जंगली सुअर, फेक (नकली)
पंजे	:	बाघ, तेन्दुआ, भालू, पक्षी, रेंगनेवाला प्राणी, नकली
फिनिश उत्पाद	:	शाहतूश शॉल, मगरमच्छ / सर्प खाल के पर्स, बटुआ, जूते, ऐश ट्रे, तेल, पेंट और ड्रांइग ब्रश, गहने (चूड़ियाँ, पेडेन्ट आदि)
जीवित प्राणी	:	तोते, रेप्टर्सर (शिकारी चिड़ियां), सरीसर्प वाले, बंदर, पक्षी, कछुए, कोरल से बनाये गये–हार, स्मृति चिन्ह।
पौधे	:	औषधीय–कुथ, *Cordiceps sinensis* (यारसागुंबा), सजावटी ऑर्किड

अपराध जांच के विभिन्न चरण

i. अपराध के दृश्य का अवलोकन एवं आंकलन

ii. भौतिक सबूतों की पहचान

iii. भौतिक सबूतों का संग्रहण एवं पैकेजिंग

iv. फॉरेन्सिक प्रयोगशाला के लिए सुरक्षित परिवहन

v. नमूने का विश्लेषण एवं परिणामों की व्याख्या

vi. रिपोर्ट–लेखन

vii अदालत में विशेषज्ञ का साक्ष्य

भौतिक सबूत क्या है ?

यह ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है जो यह स्थापित करती है कि अपराध किया गया है या अपराध और अपराधी के बीच या अपराध और शिकार (वन्यप्राणी) के बीच एक परस्पर संबंध (Link) स्थापित करता है।

अवैध शिकार के तरीके – अपराध दृश्य

- विष प्रयोग द्वारा
- गड्ढ़े में गिराकर अवैध शिकार
- बिजली के करंट द्वारा
- बन्दूक/आग्नेय अस्त्रों से
- जिन ट्रेप, जी.आई. तार का फंदा, रस्सी का फन्दा
- जाल
- गोद (मुख्यतः चिड़िया के लिए)

अपराध स्थल पर साथ रखने वाली वस्तुएं/उपकरण

- टार्च
- मैग्नीफाईंग ग्लास

- टेप / रस्सी
- नोटपैड
- कैमरा
- फीता
- चिमटा
- रक्त आदि संग्रह के लिए बर्तन / पात्र जैसे : शीशियाँ, जिपर्ड पालीथीन बैग्स, प्लास्टिक की डब्बियों।
- मास्क और टोपी, दस्ताने
- सिलिका जेल के दाने
- तार काटने वाला प्लॉयर
- कम्पास
- जी.पी.एस. उपकरण
- परमानेन्ट मार्कर पेन
- प्लास्टर ऑफ पेरिस, मग, वाटर बाटल आदि
- ट्रेसिंग पेपर, स्केच पेन, मेजरिंग टेप
- ब्लाटिंग पेपर, कैंची

अपराध स्थल पर छानबीन कैसे की जाये?

1. तुरंत घटना–स्थल पर पहुंचे।
2. वाहन को अपराध–दृश्य के ज्यादा करीब न लाया जाये।
3. तुरंत रस्सी या टेप से दृश्य को घेर दें ताकि जांच कर्त्ताओं के अतिरिक्त अन्य कोई क्राइम सीन से छेड़–छाड़ न कर सके।
4. यदि संभव हो तो क्राइम सीन की फोटोग्राफी एवं विडियो रिकार्डिंग कीजिये।
5. अपराध–दृश्य की छानबीन के दौरान लगातार नोट्स लीजिये जिसमें यह बताया जाये कि बरामद साक्ष्य कहां मिला और किसके द्वारा एकत्र किया गया तथा इसकी पैकिंग और चिन्हांकन किसके द्वारा किया गया।

अपराध–दृश्य की फोटोग्राफी :– क्यों आवश्यक है।

1. फोटोग्राफ अपराध–दृश्य के तथ्यों का स्थायी रिकार्ड प्रदान करता है।
2. यह भावी उपयोग हेतु तथ्यों को रिकार्ड करता है।
3. यह अपराध–दृश्य के पुनर्निर्माण में मदद करता है।
4. यह अन्य रिकार्डों का पूरक है।
5. यह दृश्य के विवरण को रिकार्ड करता है।
6. यह वस्तुओं के स्वरूप और उनकी स्थिति का सचित्र प्रतिनिधित्व करता है।
7. यह अदालत में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कार्य करता है और अन्वेषक की गवाह की पुष्टि करता है।

अपराध–दृश्य की फोटोग्राफी हेतु आवश्यक सामग्री :–

1. सेल्फ लोडिंग कैमरा/डिजिटल कैमरा प्रकाश व्यवस्था के साथ, नजदीक एवं दूर के शॉट लेने में समर्थ लेन्सों सहित।
2. नई बैटरी या पूरी तरह चार्ज सैल इसे सुनिश्चित करें।
3. SLR कैमरे के लिए पर्याप्त रंगीन/श्वेत–श्याम रोल।
4. फ्लेश।
5. तिपाई स्टेण्ड।

अपराध–दृश्य फोटोग्राफी कैसे की जाये

1. फोटोग्राफर को समझाने की योजना बनाने के पहले जांच–अधिकारी को अपराध स्थल पर सरसरी नज़र डाल लेना चाहिए।
2. अपराध–दृश्य का लम्बी दूरी, मध्य दूरी, कम–दूरी या पास से चित्रांकन करना चाहिए। लम्बी दूरी का चित्र अपराध–दृश्य के पूरे स्थान को दर्शायेगा, मध्यवर्ती चित्र वास्तव में जहां अपराध किया गया है उसको दर्शाएगा, जबकि नजदीकी चित्र विभिन्न भौतिक साक्ष्य, चोटों, स्थितियों और मरे हुए वन्यप्राणियों के शरीर की स्थिति बतायेगा।
3. पास के चित्रांकन के समय मापने वाला फीता रखा जाना चाहिए क्योंकि उससे चित्रों को बड़ा करने के बावजूद साक्ष्य के वास्तविक आकार का पता चलेगा। यदि फीता न हो तो किसी भी मानक वस्तु का जैसे कि कलम, इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. चित्रों की संख्या में कमी न करें। जांच–अधिकारी जांच हेतु जितने भी चित्रों को उपयोगी समझे उतने चित्र लिये जायें। विभिन्न वस्तुओं की दूरी बताते हुए अपराध परिदृश्य का रेखाचित्र बनायें।

5. विविध तकनीकों द्वारा साक्ष्य की खोज।

खोज की विभिन्न तकनीकें

सीधी रेखा में बिन्दु से बिन्दु खोज

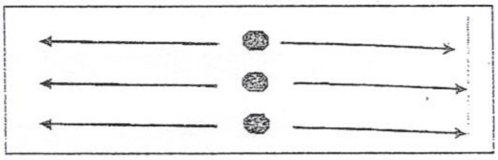

मंडलीय (जोनल) विधि अथवा चतुर्थांश (क्वाडरेन्ट) में विभाजित और चतुर्थांश में एक–एक करके खोजना।

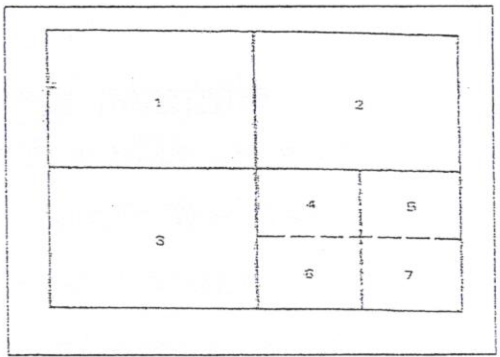

सर्पिल (spiral) विधि – शून्य बिन्दु/दृश्य के केन्द्र बिन्दु से शुरू करना और सर्पिल गति से बढना।

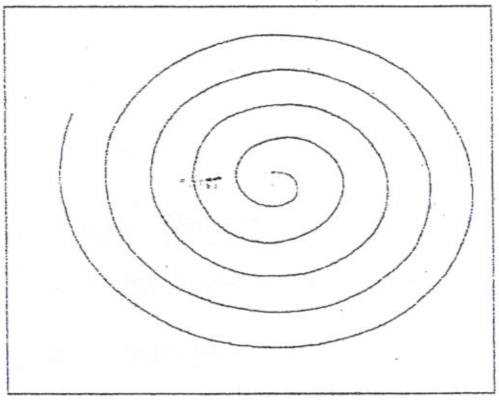

पट्टी विधि – अपराध दृश्य को सुविधाजनक पट्टियों में बांटा जाए और प्रत्येक पट्टी की सावधानी से जांच की जाए।

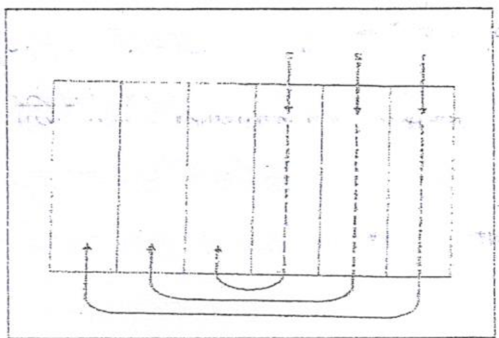

त्रिज्यीय (radial) विधि– एक चक्र के काल्पनिक केन्द्र बिन्दु से अलग–अलग दिशाओं में विकिरण (रेडियेशन) की भांति पूरे क्षेत्र को कवर करना।

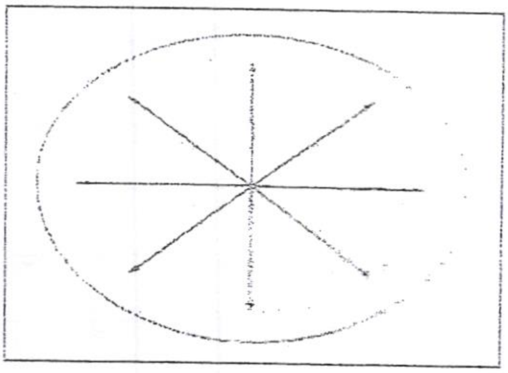

तिरस्रेखित विधि (क्रॉस हैच मेथड)

सुराग सामग्री की खोज– दो आयामों द्वारा की जाती है। पहले लंबाई में जैसे कि पट्टी विधि में, और बाद को चौड़ाई की खोज की जाती है।

अपराध दृश्य में आगे का कार्यः–

- अपराध क्षेत्र में वन्यप्राणी और मनुष्यों के पद–चिन्ह लीजिए।
- वाहन के टायर की छाप लीजिए।
- भौतिक सबूतों को एकत्रित करना। (खून, बाल, हड्डियाँ, मांस और कोई भी बाहरी वस्तु जैसे माचिस की तीली, अखबार, कागज के टुकड़े, पन्नी, रेपर आदि)
- वन्यप्राणी के शरीर पर घाव या निशान खोजें, यदि शव मिला है तो।
- गोली के निशान, खाली खोखे।
- शरीर या त्वचा पर काटने के निशान।
- हड्डियों को क्षति।
- जाल के निशान, तार, फन्दे, जिनट्रेप आदि।
- शरीर एवं पैरों पर फंदे, ट्रेप के निशान देखिये।
- शरीर की हालत (रिगरमार्टिस), मख्खी के अंडे, मैगर के निकास आदि से मृत्यु के समय का अनुमान।
- यह ध्यान रखे कि अपराध स्थल पर मिली हरेक वस्तु एक अहम सुराग उपलब्ध करा सकती है।

अपराध–दृश्य का रेखांकन –

1. विभिन्न वस्तुओं के बीच की दूरी बताते हुए अपराध दृश्य का चित्रांकन करें। अपराध–दृश्य के चित्र और रेखाचित्र एक दूसरे के पूरक हैं। रेखाचित्र से अपराध–दृश्य जितना स्पष्ट दिखाई देता है उतना तो हजारों तस्वीरों द्वारा संभव नहीं होता। यह रेखाचित्र विभिन्न वस्तुओं के आयामों को बताता है और एक दूसरे से तुलनात्मक दूरी तथा दिशा या दिकस्थिति निर्धारण करता है।
2. रेखाचित्र में दिखाई गई वस्तुओं को दर्शाने के लिये संख्या या कोड के जरिये आलेखित (legend) किया जाना चाहिए। कार्यालय में आने के बाद रेखाचित्र के आलेखन से देरी होने पर भूलने की संभावना रहती है। अतः यह काम अपराध–स्थल पर ही करें।
3. हमेशा दो निकटतम स्थायी वस्तुओं से दूरी को मापें।
4. हमेशा उत्तर दिशा को संकेतिक करें।

वन्यप्राणी फॉरेंसिक अध्ययन के लिए ऊतकों के नमूने का संग्रह करना

<table>
<tr><td>1
 </td><td>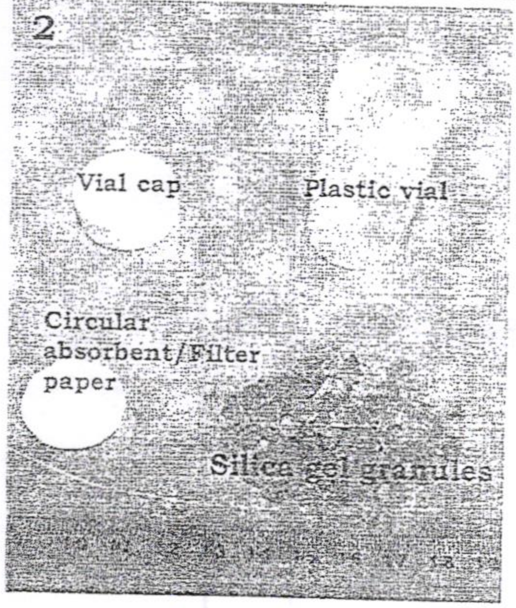
</td></tr>
<tr><td>1. सिलिका जेल–नीला–जो कि फोटोग्राफरों या रसायनों की दूकान पर उपलब्ध होता है।</td><td>2. एक स्क्रू ढक्कन वाली प्लास्टिक शीशी लीजिए और शीशी के आकार का शोषक कागज जैसे फिल्टर पेपर कांटे।</td></tr>
<tr><td>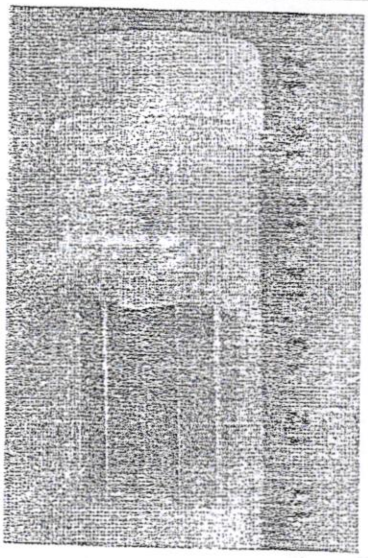</td><td>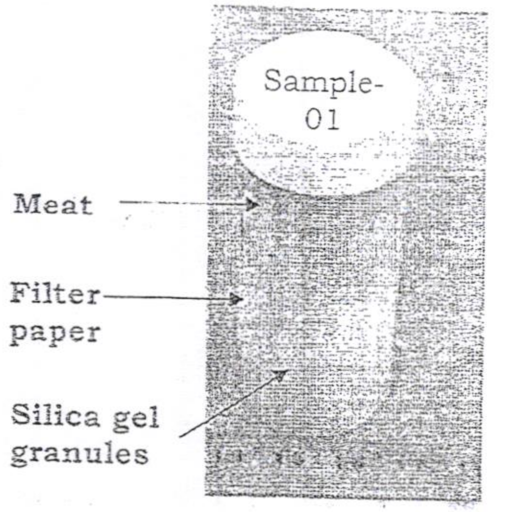
</td></tr>
<tr><td>3. प्लास्टिक शीशी में सिलिका जेल आधे तक भरें और सिलिका जेल पर कटा हुआ वृत्ताकार शोषक कागज रखें और मांस / गोबर का नमूना उसके ऊपर रखें।</td><td>4. मांस / गोबर का नमूना उसके ऊपर रखें।</td></tr>
</table>

भौतिक साक्ष्य का संग्रह

द्वारा :

अपराध का दृश्य

वन्यप्राणी

संदिग्ध और उसका वातावरण

उपलब्ध भौतिक सबूतों का संग्रह

रक्त–अधोस्तर यानी सब–स्ट्रेट पर वायु–शुष्क रक्त।

ऊतक/मांस–वन्यजीव संस्थान के प्रोटोकॉल अनुसार।

त्वचा– पैकिंग और सील करने के पहले इसे वायु–शुष्क करके नमीं हटा दें।

हड्डियाँ–यथावत।

त्वचा का फॉरेंसिक महत्व

प्रयोगशाला में त्वचा का परीक्षण निम्नांकित पर जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है।

1. प्रजाति
2. त्वचा की आयु
3. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग

खाल का संग्रह

1. दस्ताने का उपयोग करें।
2. त्वचा छाया में वायु–शुष्क होने दें।
3. एयर टाइट पैकिंग सामग्री का उपयोग न करें।
4. प्रत्येक प्रदर्श ठीक से लेबल किया जाना चाहिए।

ऊतकों का फॉरेंसिक महत्व

प्रयोगशाला में ऊतकों का परीक्षण निम्नांकित पर जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है।

1. यदि यह ऊतक मानव या वन्यप्राणी–मूल के हैं।

2. प्रजातियों का मूल।
3. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग।

ऊतकों का संग्रह

1. दस्तानों का उपयोग करें।
2. दो ऊतकों के बीच संम्पर्क से बचें।
3. एयर टाइट पैकिंग सामग्री का उपयोग न करें।
4. तरल रक्त रूई के फोये पर एकत्रित किया जा सकता है और पैकिंग के पहले सुखायें।
5. प्रत्येक प्रदर्श को ठीक से लेबल किया जाना चाहिए।

हड्डियों का फॉरेंसिक महत्व

प्रयोगशाला में हड्डियों का परीक्षण निम्नांकित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

1. मानव या वन्यप्राणी के मूल का पता लगाना।
2. प्रजातियों का मूल।
3. वन्यप्राणी का लिंग।
4. वन्यप्राणी की उम्र।
5. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग।

हड्डियों का संग्रह

1. दस्ताने का उपयोग करें।
2. प्रत्येक प्रदर्श ठीक से लेबल किया जाना चाहिए।

खून का फॉरेंसिक महत्व

खून का प्रयोगशाला में परीक्षण निम्नांकित की खोज के लिए किया जाता है।

1. क्या यह रक्त है या कुछ अन्य तरल पदार्थ (तेल, सिरप आदि)।
2. क्या यह रक्त मानव या वन्यप्राणी मूल का है।
3. खून के धब्बों की आयु।
4. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग।

खून के धब्बे का संग्रह

यह पकड़े गये संदिग्ध के शरीर पर अपराध–स्थल पर या उसके समीप पत्थरों पर, पत्तों पर, जप्त ट्रैप एवं अन्य हथियारों पर मिल सकता है।

1. दस्ताने का उपयोग करें।
2. रक्त/दाग छाया (हवा) में सुखायें (वायु–शुष्क)
3. दो दाग के बीच का सम्पर्क बचायें।
4. एयर टाइट पैकिंग–सामग्री का उपयोग न करें।
5. तरल रक्त रूई के फोये पर एकत्र करें एवं पैकिंग के पहले सुखायें।
6. प्रत्येक प्रदर्श का ठीक से लेबल किया जाये।

बालों का फॉरेंसिक महत्व

बालों की फॉरेंसिक जांच निम्नांकित जानकारी के लिए की जाती है।

1. प्रजाति का मूल।
2. बालों की जड़ सेल/कोया यानी फॉलिकल का डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग।

बालों का संग्रह

यह अपराध–स्थल पर, अभियुक्त के कपड़ों पर, जप्त हथियारों या ट्रैप पर वाहन में मिल सकता है। इसे ढूंढ़ने के लिए मैग्नीकटिंग ग्लास का उपयोग करें।

1. चिमटी से उठायें।
2. दो अलग–अलग स्थानों से बालों के नमूने एकत्र किये जाना चाहिए और उन्हें अलग–अलग पैकिंग रखें।
3. बाल मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
4. कागज या प्लास्टिक थैलियों में रखें।

आग्नेयस्त्र (फायर आर्मस) और गोला बारूद का फॉरेंसिक महत्व

1. यदि लाइसेंसी हो तो मालिक का पता लगाया जा सकता है, अन्यथा किस व्यक्ति से जब्त किया गया है।

2. पिछली फायरिंग का संभावित समय।
3. मृत वन्यप्राणी के शरीर से पाई गोली के माध्यम से उस हथियार का पता लगाया जा सकता है जिससे कि गोली चली।
4. गोली कितनी दूरी से चली।

आग्नेयस्त्रों का संग्रह तथा उन्हें बतौर सबूत सुरक्षित रखना

1. आग्नेयस्त्र सावधानी से हटा लेना चाहिए। ख्याल रखें कि उस पर उंगलियों के निशान हो सकते हैं जिनके नष्ट होने की संभावना होती है।
2. आग्नेयस्त्र की नाल को रूई के फोये से बंद करें।
3. आग्नेयस्त्र का विवरण अच्छी तरह चिन्हित किया जाना चाहिए और उस पर नम्बर डाले जाना चाहिए।
4. अंत में आग्नेयस्त्र को एक उपयुक्त बॉक्स में बंद किया जाना चाहिए साथ ही उसे सील किया जाना चाहिए।

कारतूस–खोलों का संग्रह तथा रख–रखाव

1. प्रदर्श को धोना या साफ करना नहीं चाहिए।
2. कारतूस–खोलों को सावधानी से उठाया जाये। प्लास्टिक नोंक वाले चिमटे का उपयोग करना चाहिये।
3. प्रत्येक खाली कारतूस को एक अलग प्लास्टिक की थैली में रखा जाना चाहिए, ध्यान रखें कि इसकी सामग्री बाहर न गिर पाये।
4. फॉयरिंग पिन एवं ब्रीच फेस–मार्क्स को रूई के गद्दीदार भराव के द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।
5. प्रत्येक आवरण के बारे में विवरण प्रलेखित किया जाना चाहिए।
6. प्रत्येक प्रदर्श का ठीक से लेबल किया जाना चाहिए।

गोला–बारूद का संग्रह और संभाल–गोली और छर्रे

1. गोली को धोना या साफ करना नहीं चाहिये।
2. प्लास्टिक–नोंक के चिमटे से सावधानी से उठाया जाना चाहिए।

3. प्रत्येक कारतूस–खोल एक अलग प्लास्टिक थैली में रखा जाना चाहिए। ध्यान रहे कि यह सामग्री बाहर न गिर जाये।
4. बैरल के निशान रूई के गद्दीदार उपयोग द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।
5. प्रत्येक छर्रों या गोली के बारे में विवरण प्रलेखित किया जाना चाहिए।
6. प्रत्येक प्रदर्श लेबल किया जाना चाहिए।

एहतियात / सावधानी

1. नमूने का आकार पर्याप्त हो।
2. तुलना के लिए मानक या नियंत्रक।
3. दाग आदि खरोंचे नहीं जाना चाहिए परन्तु अधोस्तर यानी सब्सट्रेट के साथ भेजा जाना चाहिए।

परिरक्षण

खून, ऊतक जैसे जैविक पदार्थ प्राकृतिक अपघटन के कारण कुछ समय के दौरान अपने चरित्रों को बदलते हैं।

प्रदर्शों को ज्यादा गर्मी से बचायें

परीक्षण हेतु, वन्यप्राणी सामग्री–पहचान तकनीकों को विभिन्न परीक्षण–प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है इसलिए परिरक्षण की भिन्न–भिन्न विधियां अपेक्षित हैं।

पैकेजिंग

1. सामग्री और साक्ष्य जो आसानी से निकाले जा सकें और जिसकी सुविधापूर्वक पैकिंग की जा सके।
2. प्रदर्शों के आकार, उनकी भंगुरता, भौतिक स्थिति और संचरण के दृष्टिगत उस डिब्बे का चुनाव किया जाय जिसमें उन्हें रखना है।
3. साक्ष्य को ठीक से चिन्हित तथा लेबल किया जाना चाहिए क्योंकि विश्लेषण / परीक्षण पूरा करने के लिए महीनों का समय लग सकता है।
4. प्रत्येक साक्ष्य अलग पैक किया जाना चाहिए।

प्रदर्शों के साथ साक्ष्य–चार्ट

अनु. क्र.	साक्ष्य	मात्रा	कंटेनर	मुहर	साक्षी	टिप्पणी
01	गोलियाँ	एक	01	WII वन्यजीव संस्थान	abc	कोई नहीं
02	हड्डी	पांच	02	WII वन्यजीव संस्थान	abc	कोई नहीं
03	बाल	गुच्छा	03	WII वन्यजीव संस्थान	abc	कोई नहीं

सीलिंग / लेबलिंग

1. अलग–अलग साक्ष्यों को अलग–अलग पैकेजों में सील करें।
2. एक बड़े कंटेनर में सभी पैकेट रखें और फिर सील / मुहर लगाया जाये।
3. मुहर–बंद कंटेनर पर स्पष्ट रूप से निम्न जानकारी होना चाहिए।
   i. प्रकरण संख्या।
   ii. सामग्री मिलने की तारीख और समय।
   iii. सामग्री का नाम और विवरण
   iv. सामग्री की खोज के स्थान और समय।
   v. जांच–अधिकारी के हस्ताक्षर।
   vi. गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर।

अग्रेषण–टीप का प्रारूपः इसे प्रदर्शों के साथ भेजें

प्रकरण संख्या .... पुलिस स्टेशन..........................

कानून की धारा .... जिला ....

दिनांक .... राज्य ....

अपराध संक्षिप्ति एवं थ्म्द्ध्च्व् की सत्यप्रति

....

....

....

....

जरूरी परीक्षण का स्वरूप

1. प्रदर्शों के प्रजाति–मूल का पता लगाना # 01
2. यह पता लगाना कि जो प्रदर्श # 02 के रूप में चिन्हित किया गया है वह बाघ का है।

प्राधिकरण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्थान, पी.ओ. बॉक्स–18, चन्द्रबनी, देहरादून, भारत को भेजी हुई प्रदर्श जो प्रकरण संख्या .... से संबंधित है, को परीक्षण करने का अधिकार है। पी.एस. .... U/s .... तारीख .... बनाम राज्य .... और यदि आवश्यक हो तो परीक्षण करने के लिए प्रदर्श–भागों को स्थान पर ले जाया जाये।

अग्रेषण प्राधिकरण के हस्ताक्षर और पदनाम

परिवहन–सुरक्षित और अच्छी तरह परिवहन सुनिश्चित करें क्योंकि

निम्न गलतियाँ हो सकती हैं।

1. साक्ष्य की मान्यता में विफलता।
2. तमाशबीनों की भीड़ से अपराध–दृश्य को अनुचित संरक्षण करने में चूक।
3. बहुत सारे वनकर्मियों की अपराध स्थल पर उपस्थिति से साक्ष्यों का संदूषण।
4. अललटप्पू (हिट और मिस) शोध तकनीक।
5. खोज में संगठन और संचार की कमी।
6. मूल अपराध दृश्य के आपस–पास के क्षेत्र में खोज करने में विफलता।
7. गवाह कहाँ–कहाँ मिल सकते है, यह नियत न कर पाना।
8. उचित नोट्स, फोटो या वीडियो लेने में विफलता।
9. अभिरक्षा में लिये गये सबूतों का संदूषण।
10. प्लास्टिक की थैली में, सुखाने से पहले ही गीली/धब्बे लगी हुई सामग्री रखना।
11. एक ही पैकेज में एक से अधिक चीजों की पैकिंग।
12. निष्कर्ष निकालने में जल्दीबाजी करना एवं गलत निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही करना।

13. नाम और प्रसिद्धि के चक्कर में, अपूर्ण छानबीन के आधार पर ही मीडिया को जानकारी दे देना।

वन्यप्राणी फॉरेंसिक प्रयोगशाला के लिए मूल–संरचना

- जीव विज्ञान इकाई।
- आग्नेयास्त्र और विस्फोटक इकाई।
- फोटोग्राफी इकाई।
- टॉक्सीकोलॉजी इकाई।
- लेटेन्ट फिंगर प्रिंट इकाई।
- फ़ॉरेंसिक पैथेलाजी इकाई।
- फॉरेंसिक एन्थ्रोपॉलोजी इकाई।
- फॉरेंसिक कीट विज्ञान इकाई।
- फॉरेंसिक ऑनटोलॉजी इकाई।

जीव विज्ञान इकाई

खून के धब्बे, मांस, विष्ठा, बाल, वनस्पतिक नमूने आदि की पहचान।

अपनाई गई तकनीक:

माइक्रोस्कापी, मॉरफोमेट्री (वन्यप्राणी का आकार अध्ययन करने का आकार), इलैक्ट्रोफॉरेसिस (वैद्युतकण संचालन), क्रोमेटोग्राफी, डी.एन.ए. आधारित तकनीक, सेरोलॉजी (सीरम विज्ञान)

आग्नेयस्त्र और विस्फोटक इकाई

आग्नेयस्त्रों की पहचान–राईफल/शॉट बंदूक या चिकना बैरल बंदूक।

चलाये गये कारतूस (बूलेट तथा गोली), विस्फोटक/उपकरण।

अपनाई गई तकनीक:

माइक्रोस्कोपी, रासायनिक और यांत्रिक विश्लेषण।

फोटोग्राफी इकाई

अपराध–स्थल फोटोग्राफी

तुलनात्मक विश्लेषण के लिए तैयारी।

अदालत के कमरे में प्रदर्शन।

अपनाई गई तकनीकः

माइक्रो और मैक्रो (सूक्ष्म तथा स्थल) फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, तुलनात्मक तैयारी।

टॉक्सीकोलॉजी इकाई

पदार्थ की विषाक्तताः

इंसेक्टीसाइड (कीटनाशक), पेस्टीसाइड (मारी–मारक), द्यात्विक (मैटेलिक), जैविक, अजैविक, रसायनिक

अपनाई गई तकनीकः

रासायनिक और यांत्रिक विश्लेषण।

फॉरेंसिक पैथेलॉजी इकाई

अचानक अस्वाभाविक मृत्यु का कारण।

शव परीक्षा

रोग

चोट लगना– यदि चोट से मौत होती है या कुछ और से।

बिजली के झटकों से मौत।

फॉरेंसिक नृविज्ञान (एन्थ्रोपॉलॉजी) इकाई

हड्डियां और दांत लंबे समय तक स्थायी बने रहते हैं।

अनुमानित आयु।

लिंग।

चोटें।

अपनाई गई तकनीकः

माइक्रोस्कोपी, मारफोमेट्री और तुलनात्मक विश्लेषण।

विषाक्तता की पहचान के लिए जैविक सामग्री के संग्रह और परिरक्षण हेतु पुस्तिका

'टॉक्सिकोलॉजी' शब्द ग्रीक शब्द 'टॉक्सिकन' से प्राप्त किया गया है, अर्थात विषाक्त पदार्थ जिसमें तीर की नोंक डुबा कर शिकार हेतु उपयोग करते थे। विषाक्तता का विश्लेषण: चूंकि अपराध बड़ी गोपनीयता से किया जाता है अतः उसके लिए विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र की अतिविशिष्ट विशेषज्ञता चाहिए।

विष देने का मुख्य साक्ष्य संबंधित वन्यप्राणी के शरीर के भीतर विष या उसके अवशेषों के रूप में पाया जाता है।

वन्यप्राणियों के अवैध शिकार के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले विभिन्न विषों के प्रकार जैसे

पेस्टीसाइड

कीटनाशक

मैटेलिक

जैविक

अजैविक

रसायन

रासायनिक विश्लेषण से सबूतों का संग्रह करने के पूर्व निम्न स्थितियों को ध्यान में रखकर संग्रहण करना चाहिए:-

A. प्रकरण जिनमें वन्यप्राणी अभी भी जीवित हो :- यदि वन्यप्राणी अभी भी जीवित हो तो पेट की सामग्रियाँ जैसे उल्टी सामग्री, रक्त, मूत्र या मल, यदि उपलब्ध है तो इन्हें संग्रहित करना चाहिए। आस-पास बचा हुआ खाद्य या मांस हो तो इसे भी संग्रहित करना चाहिए, निकटतम जलाशय से पानी के सैम्पल भी लिये जाना चाहिए।

B. ऐसे प्रकरण जिसमें वन्यप्राणी की मृत्यु हो चुकी हो :-

1. उन अंगों या ऊतकों का संग्रहण किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से द्वारा जहर दिया गया हो-आंत या उसकी सामग्री। एकोनिटम जहरीले तीर से शिकार एवं

सांप द्वारा काटे जाने की शंका होने पर त्वचा और उपसमवयस्क ऊतक (सब–क्यूटेनियस टिशू) को संग्रहित करना चाहिए।

2. अंगो जिनके माधयम से जीवित प्राणी विष शरीर से बाहर निकालता हो जैसाः– गुर्दे और आंत का संग्रहण।
3. शरीर प्रणाली में अवशोषण के बाद यकृत (प्लिहा), गुर्दे तथा बाल में विष का बचा रहता है, इन्हें भी संग्रहित करना चाहिए। आर्सेनिक या लेड विषाक्तता की जांच के लिए आस–पास के जलाशयों से पानी का सैम्पल तथा मिट्टी भी संग्रहित किया जाना चाहिए।
4. मूत्र, गोबर, लेंडी, लार, झाग आदि संग्रहित किया जाना चाहिए।
5. कंटेनर, पाऊच, पॉली बैग, बोतल आदि जिनमें जहर देने के पहले उसके पाउडर के बचे रहने का संदेह उसे भी संग्रहित किया जाना चाहिए।
6. अवशेष भोजन या जलाशय के नमूने भी संग्रहित किया जाना चाहिए।

साक्ष्यों का परिरक्षण

फॉरेन्सिक जांच के लिए, जब्तशुदा सामग्री का अपघटन रोकने हेतु उसका परिरक्षण किया जाता है। आंत (विसरा) के संरक्षण के लिए रेक्टीफाइड स्पीरिट या 90 प्रतिशत इथेनॉल या एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी भी विषाक्त एल्कोहल या पांगविक (carbolic) आम्ल का संदेह हो तो सामग्री को नमक के संतृप्त घोल में संरक्षित किया जाना चाहिए। यदि नमक का घोल संतृप्त नही है तो आंत में सड़न (putrefying) करने वाले वैक्टीरिया बढ़ेगे और जैविक सामग्री/विषयुक्त जैविक पदार्थों या उनके संजातीयों यानी डेरिवेटीव को सड़ा देंगे। सामान्यतः पेट के द्रव पदार्थ संतृप्त नमक के घोल को पतला कर देता है इसलिए संतृप्त नमक के घोल को आंत पर डालने के बाद 10 से 15 ग्राम सादा नमक डालना चाहिए जो कंटेनर के नीचे अघुलित रहेगा।

रक्त का संरक्षण

प्रत्येक 01ml खून के लिए 20gm सोडियम फ्लोराइड चाहिए या एक एमएल खून के लिये पांच एमजी सोडियम सायरेट और 0.1 जीएम मरक्यूरिक क्लोराइड पर्याप्त है तदनुसार जोड़े। (10gmसोडियन साइट्रिट+0.2gm मरक्यूरी क्लोराइड को 100ml डिस्टिल पानी में मिश्रित करें इसका एक बूंद का प्रत्येक ml खून के लिए पर्याप्त है।

कंटेनर

आंत (विसरा) के फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए चौड़ा मुँह वाला करीबन 2लीटर की क्षमता का कांच की बोतल जिसमें एयरटाइट पैक करने की सुविधा हो, ठीक रहेगी। रक्त के नमूनों के लिए छोटी बोतलों की सलाह दी जाती है। प्रत्येक बोतल पर एक विशेष पहचान संख्या और नीचे दिये गये लेबल के अनुसार संकेत करना चाहिए।

प्रकरण/पी.ओ.आर. नम्बर.................................. स्थान......................... दिनांक ....

नाम राज्य .... S/o .... धारा के अधीन ....

सील बन्द

यह ध्यान रखना चाहिए कि सील–चिंह को तोडे, हटाये या उनसे छेड़–छाड़ किये बगैर कोई गड़बड़ न की जा सके। सीलबंदी भी एक अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में होना चाहिए और जॉरों को ठीक से लेबल करके तद्उपरांत लकड़ी के बॉक्स में खूब सारी पैकिंग सामग्री के साथ रखा जाना चाहिए ताकि परागमन में परेशानी न हों। एक कागज पर अलग से मुहर छाप/प्रतिकृती प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि कंटेनर के खोलने से पहले उसके मुहर के साथ मिलान किया जा सके।

फॉरेंसिक प्रयोगशाला को भेजे जाने वाले दस्तावेज

1. सामग्री के फॉरेंसिक/रासायनिक विश्लेषण हेतु मजिस्ट्रेट या संबंधित कर्मियों का अधिकृत प्रयोगशाला को पत्र, मामला/पी.ओ.आर. नम्बर/जगह दिनांक, बनाम राज्य .. .. धारा के अधीन ...., संदिग्ध विष आदि,
2. FIR/POR की एक प्रति।
3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति।
4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर।
    i. पशु की संदिग्ध प्रजाति।
    ii. अंतिम भोजन की प्रकृति।
    iii. वन्यप्राणी जागरूक या मृत पाया गया।
    iv. यदि सचेते या तो उसे पीड़ा थी या शांत था।

(100)

v. मुँह या नथुनों द्वारा उल्टी या स्त्राव।

vi. विष देने की संभावित विधिः मुख्य से या तीर से आदि

5. जांच अधिकारी की शासकीय मुहर के साथ हस्ताक्षर।

****